

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्या-03/कृ०बजट-आवंटन-23/2015-273(आवंटन) कृ०, पटना, दिनांक 21-03-2016
प्रेषक,

Mail/Fax

प्रभु राम,
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, समस्तीपुर/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी समस्तीपुर।

विषय : योजनाओं की प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु सुत्रण, प्रवेक्षण एवं अनुश्रवण व्यवस्था के सुदृढीकरण के लिए किराये पर वाहन लेने की योजना का वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 582.12 लाख रु० की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए 5.82120 लाख रु० (पाँच लाख बेरासी हजार एक सौ बीस रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप शेष व्यय हेतु ₹5,306 (पाँच हजार तीन सौ छः रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

प्रसंग: सहायक निदेशक पौधा संरक्षण समस्तीपुर का पत्रांक:-10 दिनांक-25.01.2016/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी समस्तीपुर का पत्रांक:-58 दिनांक-23.02.2015।

महाशय :

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3003 दिनांक-17.06.2015 द्वारा योजनाओं की प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु सुत्रण, प्रवेक्षण एवं अनुश्रवण व्यवस्था के सुदृढीकरण के लिए किराये पर वाहन लेने की योजना का वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 582.12 लाख रु० की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए 5.82120 लाख रु० (पाँच लाख बेरासी हजार एक सौ बीस रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹5,306 (पाँच हजार तीन सौ छः रु०) मात्र की राशि निम्न प्रकार आवंटित की जाती है।

क्रम सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	स्वीकृत राशि	पूर्व में विभागीय पत्रांक-50 (आवंटन) दिनांक-25.06.2015 द्वारा आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6
1	सहायक निदेशक पौधा सं० समस्तीपुर	3960	1307	2653	3960
2	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी समस्तीपुर	3960	1307	2653	3960
योग-		7920	2614	5306	7920

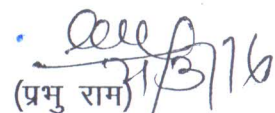
2. उपरोक्त ₹5,306 (पाँच हजार तीन सौ छः रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग सं०-1-उपशीर्ष-0134-इनटेनसीफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट, नई योजना, विपत्र कोड-P2401007960134, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5022 विषयशीर्ष-1302-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष, 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-5294 वि० (2) दिनांक-17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

6. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,


(प्रभु राम)

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।

 कृषि विभाग, बिहार, पटना।

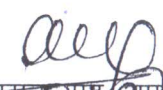
ज्ञापांक- 273(आवंतन)

/कृ०, पटना दिनांक 21-03-, 2016

प्रतिलिपि-
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल पथ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।

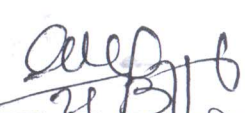
 कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 273(आवंतन)

/कृ०, पटना दिनांक- 21-03-, 2016

प्रतिलिपि- वित्त विभाग, बिहार, पटना/कृषि निदेशक बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम० बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/ निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला उद्यान पदाधिकारी/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला नोडल पदाधिकारी/उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारीगण/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना शाखा, (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक, (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।

 कृषि विभाग, बिहार, पटना।